JALAUN POLICE

दिनांक- 22.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000-30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण- अभियुक्तगण/ससुरालीजन 1. यूसुफ उर्फ रहीश 2. इस्माइल महते पुत्र रहीम 3. हनीफ पुत्र इस्माइल 4. नाजिरा 5. फातिमा पुत्रीगण रहीम नि0गण मोहल्ला मालवीय नगर कोंच हाल निवासी बगिया गोपाल नारायण निगम मु0 आराजी लाइन कोतवाली कोंच जनपद जालौन द्वारा वादी श्री रसूल अहमद पुत्र इमामी नि0 आराजी लाइन कोतवाली कोंच जनपद जालौन की पुत्री से दहेज की मांग करना व जहर खिलाकर मार देने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 28.02.2011 को कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 263/11(वाद संख्या 20/13) धारा 498ए/304 बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा दिनांक 28.07.2012 को अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.01.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण इस्माइल महते, हनीफ, नाजिरा, फातिमा उपरोक्त को को दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000-30,000/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया तथा अभियुक्त यूसुफ उर्फ रहीश उपरोक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता के पिता को प्रतिकर स्वरुप प्रदान की जायेगी।